सं. डब्लू-11042/65/2013-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 12 अगस्त, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय : दिनांक 25 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में राज्य के प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव के साथ समीक्षा बैठक।

महोदय/महोदया,

महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य को प्राप्त करने के संबंध में अपनी इच्छा की घोषणा की है। मंत्रालय, वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करना चाहता है। इस परिप्रेक्ष्य में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 25 अगस्त, 2014 को निर्मल भारत अभियान (एनबीए) की राष्ट्रीय समीक्षा की जाएगी। एनबीए के अन्तर्गत बैठक का एजेन्डा इस प्रकार है:-

(क) एनबीए के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की राज्य-वार समीक्षा।
(ख) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण (कवरेज में तेजी लाने की योजना) : 100 दिवसों और एआईपी 2014-15 के लक्ष्यों की उपलब्धि।
(ग) स्कूलों और आंगनवाड़ियों में स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ और उनका रखरखाव।
(घ) सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण और उनका प्रचालन एवं रखरखाव।
(ड.) एसएलडब्लूएम गतिविधियाँ।
(च) आईईसी और मानव संसाधन विकास कार्य योजना-जिला स्तर।
(छ) ब्लॉक समन्वयनकर्ता और स्वच्छता दूतों का नियोजन।

(ज़)	निर्मल भारत अभियान का इंदिरा आवास योजना और अन्य आवास योजना के साथ तालमेल बिठाना।

(झ)	स्वच्छता के क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी गतिविधियाँ।

(ञ)	कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी।

(ट)	निधियों का उपयोग, लेखा परीक्षा की निधि प्रबंधन स्थिति।

(ठ)	स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रणालियाँ ।

यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य के एनबीए समन्वयनकर्त्ताओं के साथ आप दिनांक 25 अगस्त, 2014 को बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें। कार्यक्रम की रूपरेखा एवं विस्तृत एजेन्डा-नोट मंत्रालय की वैबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा।

भवदीय

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (स्वच्छता)

प्रति :

1. सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य एनबीए समन्वयनकर्त्ता।